समावेशी शिक्षा एवं शिक्षक : NEP 2020 के विशेष संदर्भ में

***कादम्बिनी गुप्ता एवं **डॉ. प्रवीण कुमार**

*एम.एड., वसंत महिला महाविद्यालयए वाराणसी (सम्बद्ध काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी)–उ0प्र0

**असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, वसंत महिला महाविद्यालय वाराणसी (सम्बद्ध काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी)–उ0प्र0

सारांश

आज के आधुनिक समय में सभी प्रकार के परिवर्तनों के साथ शिक्षा भी अपना स्वरूप तेजी से बदल रही है एवं बदलते समय के साथ ही शिक्षक के दायित्व भी बढ़ रहे हैं। शिक्षा में, हम व्यक्तिगत विभिन्नता एवं सामाजिक विभिन्नता को साथ लेकर शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, 'समावेशी शिक्षा' इसका वर्तमान उदाहरण है। वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षक के महत्व पर सर्वाधिक जोर देती है। जिसमें उल्लेख है कि प्रत्येक छात्र की विशिष्ट क्षमताओं की पहचान और उसके विकास के लिए शिक्षकों एवं अभिभावकों को इनकी क्षमताओं के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। छात्रों के अकादमिक एवं अन्य क्षमताओं का पूर्ण विकास हो सके। उच्चतर शिक्षा के अनुभवजन्य क्षेत्रों में प्रवेश की ऐसी अपार संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं, जो व्यक्ति और समुदाय को भी प्रतिकूल परिस्थितियों के कुचक्र से निकाल सकते हैं। इसी कारण सभी के लिए उच्चतर गुणवत्तायुक्त शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकताएँ होनी चाहिए। प्रस्तुत शोध प्रपत्र के माध्यम से शिक्षक से बदलते दायित्व को समझाने का प्रयास किया जाएगा। वह किन–किन प्रकार की शैक्षिक विधियों का चयन करें, किस प्रकार के अनुदेशन प्रक्रिया को अपनाये तथा अपनी अधिगम एवं शिक्षण में व्यक्तिगत विभिन्नता का समावेश किस प्रकार करें जिससे विद्यार्थी का सम्पूर्ण विकास हो सके, साथ ही शिक्षक अपने अंदर व्यवहारिक कुशलता एवं कक्षागत चर्चा में बिना पक्षपात व्यवहारिकता कैसे लाए। यह प्रपत्र शिक्षक एवं विद्यार्थी के सम्बन्ध की भी व्याख्या करेगा।

संकेत शब्द *– शिक्षक, समावेशी शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, सामाजिक एवं व्यक्तिगत विभिन्नता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बहुलवाद–बहुभाषिता, तकनीकी शिक्षा।*

प्रस्तावना :–

वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य सबको गुणवत्तापूर्ण एवं उच्चतम स्तर पर उत्तम शिक्षा उपलब्ध कराना है और इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए शिक्षा प्रणाली में लाये जा रहे शिक्षकों की गुणवत्ता पर काफी सीमा तक ध्यान भी दिया जा रहा है। शिक्षकों के भीतर गुणवत्ता इस बात पर भी निर्भर करती है कि उन्होंने शिक्षा के व्यवसाय में आने से पूर्व किस प्रकार की सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की और कार्य के दौरान उन्होंने उसमें कितना विकास किया। वर्तमान समय शिक्षण एवं प्रशिक्षण के महत्व को जीवन एवं शिक्षा के क्षेत्र में स्वीकार करता है।

शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट करते हुए कहा है कि ''शिक्षक वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं, अतः हमारे राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं। इस नेक योगदान के कारण ही भारत में शिक्षक समाज के सबसे सम्मानित सदस्य थे।''

शिक्षक की भूमिका पूरे शिक्षण–अधिगम को प्रभावित करता है। वह है जो विद्यार्थी का भविष्य तय करता है, वह विद्यार्थी को समाज के अनुरूप ढालते हुए उसके अन्दर के व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही राष्ट्र के लिए एक अच्छे नागरिक एवं उत्पाद को विकसित करता है। NEP 2020 में कहा गया है कि शिक्षक आदर्श है एवं समाज में सबसे ज्यादा सम्मानित व्यक्ति है भारत का, शायद ही किसी पद को वह गरिमा भारत में प्राप्त है जो शिक्षक को होता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ''विद्यार्थियों को निर्धारित ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्य प्रदान करने के लिए समाज शिक्षक या गुरुओं को उनकी जरूरत के सभी चीजें प्रदान करता था।''

प्राचीन काल से ही भारत में गुरु–शिष्य परम्परा विद्यमान रही है। प्राचीन काल में शिक्षक को अभिभावक एवं माता–पिता से भी उच्च स्थान गुरु को प्राप्त रहा। गुरु अपनी क्षमताओं, ज्ञान एवं अनुशासन को विद्यार्थी के भीतर हस्तान्तरित करने का प्रयास करता था। विद्यार्थी भी गुरु की कही हर बात को ईश्वर वचन के रूप में स्वीकार करता था।

बदलते समय के साथ विद्यार्थी एवं गुरु का सम्बन्ध भी आधुनिकता के रूप में नवीन एवं परिवर्तित होता जा रहा। समाज आज शिक्षक से सिर्फ सामान्य अपेक्षाएँ नहीं रखता अपितु विशिष्ट दायित्वों की भी मांग कर रहा जिससे शिक्षक के दायित्व और भी बढ़ गए हैं।

वर्तमान समय में सबका साथ सबका विकास की बात की जा रही है। भारत विभिन्नताओं वाला देश है तथा यहाँ विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ एवं सभ्यताएँ पाई जाती हैं, इससे बढ़कर शिक्षा के लिए विदेशियों का आगमन भी तेजी से बढ़ रहा है, जो हमारे संस्कृति एवं सभ्यता को प्रभावित भी कर रहे हैं। भारत बहुलवाद तथा बहुभाषिता वाला देश है, जिसके कारण इसके बदलते स्वरूप को महत्व देना तथा उनके द्वारा मांगों को पूरा करना शिक्षक का कर्तव्य हो गया है। एक कक्षा में विभिन्न प्रकार की संस्कृति, धर्म एवं भाषा व उपभाषा के छात्र पाए जाते हैं, ये विभिन्नताएँ सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव छोड़ती हैं।

साथ ही व्यक्तिगत एवं मानसिक त्रुटियाँ, किसी एक वर्ग का दबाव तथा किसी एक समाज का आर्थिक एवं सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारण से पिछड़ा होना भी किसी कक्षा सम्प्रेषण एवं गुरु एवं विद्यार्थी सम्बन्ध को प्रभावित करता है।

कभी–कभी शिक्षक/शिक्षिका भी विभिन्न पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर विद्यार्थी एवं स्वयं के सम्बन्धों को खराब कर लेता जिसका कारण भी यही विभिन्नताएँ होती हैं, प्रायः देखा जाता है शिक्षक कक्षा में छात्र के आवश्यकतानुसार कार्य न करके अपने विद्यार्थियों को सिखाते समय, पूर्वाग्रहों से ग्रसित होने के कारण विद्यार्थी के साथ अनुचित व्यवहार करता है वह रंग–भेद, जाति भेद एवं भाषा विशेष को अपनी कक्षा में स्थान देती है, जो कि न तो न्याय है न ही शिक्षा से संदर्भित।

प्राचीन काल में 'दिव्यांग छात्रों' को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। धीरे–धीरे उन्हें बदलते समय के साथ शिक्षा तो मिली परन्तु समाज की मुख्य धारा में उन्हें स्थान नहीं मिला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़कर उन्हें सभी छात्रों के समान समाज का हिस्सा बनाने की कोशिश करेगा, साथ ही स्त्री एवं पुरुष के विभेद को भी खत्म करेगा। 'समावेशी शिक्षा' को बढ़ावा देने के लिए 'समावेशी विद्यालयों' की स्थापना की जा रही है साथ ही इन दायित्वों को पूरा करने के लिए सिर्फ शिक्षक नहीं बल्कि 'विशिष्ट शिक्षकों' की नियुक्ति करना भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (5.21)– ''स्कूल शिक्षा के कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त विशिष्ट शिक्षकों की अति आवश्यकता है। इन विशिष्ट आवश्यकताओं के कुछ उदाहरणों में मिडिल और माध्यमिक स्तर में विकलांग/दिव्यांग बच्चों, ऐसे छात्रों सहित जिन्हें सीखने में कठिनाई (लर्निंग डिसेबिलिटी) होती है, के शिक्षण हेतु विषयों का शिक्षण शामिल है।''

'विशिष्ट शिक्षकों' के दायित्व भी समाज के प्रति विशिष्ट होंगे। इनके दायित्वों का वर्णन करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है। शिक्षक को सिर्फ विषय–शिक्षण का ज्ञान (subject-teaching knowledge) और विषय सम्बन्धित उद्देश्यों की समझ ही नहीं होनी चाहिए अपितु उनमें विशिष्ट शिक्षण के लिए विशिष्ट योग्यताओं एवं ऐसे छात्रों की जरूरतों की समझ भी होनी आवश्यक है।

शिक्षकों के पूर्वसेवा (pre service) के तैयारी के दौरान सामान्य शिक्षकों व विषय शिक्षकों को दूसरी विशेषज्ञता (secondary specializations) के तहत ऐसी योग्यताओं को शिक्षक को देना चाहिए जिससे कि विशिष्ट विद्यालयों को विकसित किया जा सके। साथ ही पूर्वसेवा तथा सेवा के समय (pre service and in-service made) में प्रमाणन पाठ्यक्रम (certificate course) को शिक्षकों को कराया जाना चाहिए, जिससे शिक्षा के विकास के साथ शिक्षक का विकास भी हो।

उच्च स्तर पर भारत में बहुआयामी कालेज तथा विश्वविद्यालय (Multidisciplinary college and universities) की नींव भी NEP 2020 के तहत रखा जा रहा है जिसे 2030 तक तैयार करने की भी बात की जा रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020– ''यह मानते हुए कि शिक्षक को उच्चतर गुणवत्ता की सामग्री के साथ–साथ शिक्षणशास्त्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। शिक्षक–शिक्षा को धीरे–धीरे वर्ष 2030 तक बहुविषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शामिल किया जायेगा।''

बहुआयामी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के विभिन्न विभागों के द्वारा अपने विषय के साथ 'शिक्षा' विषय को जोड़कर B.Ed. के छात्र/छात्राओं को एक शिक्षक के रूप में समाज को उच्चतम तथा गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्रदान करना बहुआयामी शिक्षा का उद्देश्य है। इसके लिए ''4 वर्षीय समेकित बी0एड0 कार्यक्रम'' भी चलाये जा रहे हैं।

अतः सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं, बदलते परिवेश में समाज का हर वर्ग और हर अंग तेजी से परिवर्तित हो रहा है। शिक्षा प्रणाली में भी बहुतायत स्तर पर बदलाव के कारण कहा जा सकता है कि शिक्षा नीति का भी आधुनिकीकरण हो चुका है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों के सामने पहले के मुकाबले अब कई सुविधाएँ हैं तो कई समस्याएँ भी है। समाज के प्रति शिक्षकों का दायित्व और महत्वपूर्ण बन चुका है। एक शिक्षक बहुत से लोगों को शिक्षित बनाता है जिससे समाज का विस्तार होता है। यदि मनुष्य शिक्षित नहीं होगा तो अपने समाज एवं अधिकारों से वंचित रहेगा, ऐसी स्थिति में अमूमन देखा जाता है कि जहाँ शिक्षा नहीं होती वहाँ के समाज का विस्तार नहीं हो पाता है। आज भी सुदूर इलाकों में लोग कुनबा बनाकर रहते हैं। आसान शब्दों में इन्हें ही आदिवासी या जनजाति कहते हैं।

हैरत की बात यह है कि जहाँ एक ओर हम आधुनिक भारत की बात करते हैं वहीं दूसरी ओर कबिले–कुनबों तक शिक्षा उचित मात्रा में अब भी नहीं पहुँच पाई है। इसके अलावा समाज के निचले स्तर पर भी शिक्षा और शिक्षितों का अभाव है। इस कमी को दूर करने का कार्य शिक्षक एवं सरकार की नीतियों का योग हो सकता है। बिना शिक्षा के समाज का चेहरा ही नहीं बन सकता है। शिक्षा, शिक्षक एवं समाज की त्रिकोणी स्थिति को माँ और बच्चे के स्वरूप में देखा जा सकता है, जैसे माँ अपने बच्चे को पाल पोसकर बड़ा करती है उसी प्रकार शिक्षक भी समाज को शिक्षित बनाकर सामाजिक ढाँचे को मजबूत करता है।

एक शिक्षित समाज में मानवीय मूल्यों का समावेश आवश्यक होता है। एक शिक्षक के अन्दर मानवीय मूल्यों का विकास होना भी आवश्यक होता जिससे वह ऐसे नागरिक का विकास करे जो समाजहित में हो। सम्मान, सहिष्णुता, समानुभूति, मानवीय अधिकार, लिंग समानता, अहिंसा, वैश्विक नागरिकता के मूल्य, समावेश एवं समानता जैसे मानवीय मूल्यों का विकास शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों के अन्दर आवश्यक है। साथ ही सभी संस्कृति एवं सभ्यता, धर्मों, भाषाओं एवं लिंग परिचय का विस्तारपूर्वक ज्ञान होना भी शिक्षक के लिए आवश्यक माना गया है।

मानवीय मूल्यों के विकास के साथ ही साथ छात्रों में देश के संविधान में वर्णित 51–A अनुच्छेद के संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करना तथा कराना भी शिक्षक के दायित्वों का हिस्सा होगा। B.Ed. के ट्रेनिंग के दौरान भी इन कर्तव्यों का पालन करना सभी विषय पढ़ाते वक्त अनिवार्य होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020– ''सभी बी.एड. कार्यक्रम किसी भी विषय को पढ़ाने या किसी भी गतिविधि को करने के दौरान भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों (अनुच्छेद– 51ए) और अंसंवैधानिक प्रावधानों का पालन करने पर बल दिया जाएगा।''

भारतीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्यों में से एक है कि सभी भारतीय बच्चों को शिक्षा से लाभान्वित किया जाए और कोई भी बच्चा शिक्षा के अवसर को अपने जन्म या जन्म आधारित परिस्थितियों के कारण खोये नहीं। भारतीय शिक्षा एवं नीतियों की कोशिश रहेगी कि लिंग और सामाजिक वर्गों के पिछड़ेपन के कारण जो खालीपन रह गया है, उसे भरा जा सके। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में किए गये U-DISE 2016-17 के आँकड़ों को देखा जाए तो पता चलता है कि किस प्रकार किसी न किसी कारणवश प्राइमरी में होने वाले पंजीयन माध्यमिक स्तर तक जाते–जाते तेजी से घट जाते हैं–

प्राइमरी			**माध्यमिक**		
अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	दिव्यांग	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	दिव्यांग
19.6%	10.6%	1.17%	17.3%	6.8%	0.25%

अनुसूचित जाति, जनजाति एवं दिव्यांग जन के छात्र विद्यालयों में अपना पंजीयन तो कराते परन्तु पूर्व विद्यालयी शिक्षा को ग्रहण नहीं करते। इसमें भी महिला विद्यार्थी ज्यादा प्रभावित होती हैं। शिक्षा के इस खालीपन को भरने का उत्तरदायित्व शिक्षक एवं सरकारी नीतियों का है। शिक्षक द्वारा समता एवं समावेशी शिक्षण शैलियों का विकास किया जाए, साथ ही सरकार को उसकी नीतियों को और विचारशील एवं विकसित करने में उनकी सहायता करना भी शिक्षक का दायित्व है। शिक्षा को एक मात्र ऐसा तकनीकी माना गया जिसके द्वारा समाज में सामाजिक न्याय एवं समता शिक्षक को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिसमें शिक्षक का योगदान सर्वोपरि है।

वर्तमान समय को ध्यान में रखकर NEP 2020 सतत् व्यावसायिक विकास (continuous professional development - CPD) को शिक्षक के लिए अनिवार्य मानता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020– ''शिक्षक को खुद में सुधार करने के लिए और पेशे से संबंधित आधुनिक विचार और नवाचार को सीखने के लिए सतत् अवसर दिए जाएँगे।''

शिक्षक को ऐसे अवसर प्रदान होने चाहिए जिससे वह समय के साथ अपनी सतत् व्यावसायिक विकास करें साथ ही अपने व्यक्तित्व में समयानुसार सुधार कर नई तकनीकी का विकास अपने व्यवसायिक क्षेत्र में कर सकें। ऐसे अवसरों को उपलब्ध कराने हेतु बहुआयामी माध्यमों का चयन किया जा सकता है जैसे– लोकल, क्षेत्रीय, राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन कराना। ऐसे आयोजनों को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन मोड में कराया जा सकता है। ऑनलाइन मोड को ज्यादा विकसित करने की आवश्यकता है। साथ ही CPD के लिए शिक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है, वह प्रत्येक वर्ष 50 घण्टे ऐसे अवसरों को दें जिससे उनका व्यावसायिक विकास हो सके और वह स्वयं अपनी रुचियों को विकसित कर सकें।

शिक्षक/शिक्षिकाओं के साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या एवं विद्यालय के नेतृत्वकर्ताओं को भी चाहिए कि वे इस प्रकार के अवसरों का निर्माण कर नेतृत्व एवं प्रबन्धन कार्यशालाओं का आयोजन करायें। इन कार्यशालाओं के माध्यम से वे अपने भीतर प्रबन्धन एवं नेतृत्व की क्षमता को विकसित करे साथ ही अपने अनुभवों को और शिक्षकों के साथ साझा करें।

शिक्षक अपने विशिष्ट दायित्वों का निर्वहन NCERT, SCERTs जैसे शैक्षिक संस्थाओं के विशेषज्ञों के रूप में करें।

शिक्षकों में दीर्घकारी व्यावसायिक कुशलता के लिए अधिगम कौशलों को विकसित करना जरूरी है। कौशलों के विकास में स्वतन्त्र रूप से पढ़ने का कौशल, परस्पर संबंध–स्थापना (Interpersonal) का कौशल, परस्पर प्रभावशीलता (Interactive) का कौशल, मानवीय संबंधों का कौशल, चिन्तन– मनन का कौशल आदि इतने सारे कौशलों का शिक्षक में विकास आवश्यक है। हर विद्यार्थी के अंदर छिपे हुए हुनर होते हैं, जिसे शिक्षकों को चाहिए कि उन्हें खोजे, उसका पोषण करे तथा उसे विकसित करे। विद्यार्थी के रुचि के आधार एवं क्षमता पर इन हुनर की पहचान करना शिक्षक का कार्य है।

बदलते समय के साथ शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों के भीतर संगणक तकनीकी का प्रयोग करे तथा आधुनिक शिक्षा प्रणाली के साथ परम्परागत शिक्षा प्रणाली का समावेश करके विद्यार्थियों को शिक्षा दें। शिक्षा को सुगम बनाने के लिए विभिन्न अनुदेशन तकनीकी का प्रयोग कर विद्यार्थी में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करें। आधुनिक भारत सिर्फ किताबी ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि तकनीकी क्षेत्र में भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। उदाहरण ''कोडिंग'' भाषा को छात्रों को सिखाना है।

बहुआयामी एवं बहुलतावादी शिक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक है शिक्षक अपने शिक्षण–अधिगम प्रणाली को और कुशल एवं व्यावहारिक एवं मूल्यपरक बनायें, इसके लिए सहभागी अधिगम (cooperative learning), साथी–समूह शिक्षण (Peer Teaching Group), समूह प्रकल्प (Group Project) आदि को अपने शिक्षण प्रविधियों में सम्मिलित करें, साथ ही दृश्य एवं श्रवण सामग्रियों का प्रयोग पाठ्यवस्तु को सुगम एवं प्रभावशील बनाने के लिए करें, जिससे विद्यार्थी में स्थायी ज्ञान का विकास किया जा सके। समय–समय पर विद्यार्थियों का सतत् मूल्यांकन (Continuous Evaluation) भी करते रहें।

निष्कर्ष :–

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सबको गुणवत्तापूर्ण एवं उच्चतम स्तर पर उत्तम शिक्षा उपलब्ध कराना है। वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 भी सबका साथ सबका विकास के लिए समावेशी शिक्षा पर बल देती है। वर्तमान शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नता एवं सामाजिक विभिन्नता को महत्व प्रदान करता है तथा छात्रों के विशिष्ट क्षमताओं की पहचान करने तथा उनकी क्षमताओं के प्रति संवेदनशील होने पर जोर देता है, साथ ही शिक्षक के बदलते दायित्व को भी स्वीकार करता है। विद्यार्थी के सम्पूर्ण विकास के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह अपनी अधिगम एवं शिक्षण में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का समावेश करे तथा अपने व्यवहारिक शिक्षण को पक्षपातरहित बनाये। बहुलवाद एवं बहुभाषिता वाला देश भारत बहु संस्कृतियों एवं सभ्यताओं को समेटे हुए है। ऐसे देश की सामाजिक मांग भी एक जैसी नहीं है क्योंकि विभिन्न प्रकार के संस्कृति, धर्म एवं भाषाओं के छात्र एक कक्षा में उपलब्ध हैं, अतः इनकी मांगों को पूरा करना भी शिक्षक का कर्तव्य हो गया है। वर्तमान समाज शिक्षक से सामान्य अपेक्षाएँ नहीं रखता अपितु विशिष्ट दायित्वों की मांग कर रहा। इन दायित्वों को पूरा करने के लिए एवं शिक्षित समाज के लिए एक शिक्षक एवं सरकारी नीतियों का योगदान शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। समाज के निचले (कबीले/कुनबों) स्तर में आज भी शिक्षा का अभाव है। इन सामाजिक वर्गों के पिछड़ेपन के कारण जो खालीपन रह गया है उन्हें भरना सरकार की नीतियों एवं भारतीय शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अतः शिक्षक के दायित्व अधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वह सरकार एवं समाज के बीच की वह कड़ी या पुल है जो एक–दूसरे को जोड़ता है।

संदर्भ सूची :–

Jangira, N. K. & Ahuja, A. (1992). Effective Teacher Training Cooperative Learning Based Approach, National Publishing House.,Delhi

Singh, S. K. (2008). *Becoming a teacher*. Amrit Prakashan, Varanasi.

Coreman, T., Deppeier, J., & Harvey, D. (2016). Inclusive education; Supporting diversity in the classroom. Allen & Unwin, Newyork.

Janardan Prasad (2005) : Education and teacher, Kanishka Publishers, New Delhi.

Ysseldyke, J. E., & Algozzi, B. (2009) : Special Education A practical approach for teachers, Kanishka Publishers, New Delhi.

ओड. एल. के. (2009). *शिक्षा के दार्शनिक पृष्ठभूमि.* राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर

गुप्ता, एस., एवं अग्रवाल, जे. सी. (2014). *उदयीमान भारतीय समाज में शिक्षा.* शिप्रा प्रकाशन, नई दिल्ली

पाठक, पी. डी. (2009). *भारतीय शिक्षा एवं उनकी समस्याएँ.* श्री विनोद पुस्तक मन्दिर, नई दिल्ली

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020). *राष्ट्रीय शिक्षा नीति.* मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

शर्मा, वाई. के., एवं शर्मा, एम. (2008). *शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार.* कनिष्का पब्लिसर्श & डिस्ट्रीब्यूटर्श, नई दिल्ली

How to cite reference of this paper-

गुप्ता, के. ,एवं कुमार, पी. (2023). समावेशी शिक्षा एवं शिक्षक : NEP 2020 के विशेष संदर्भ में. *Educational Metamorphosis 2*(1), 126-131.